



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 16.08.2022

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्दर उर्फ दिनेश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर की ग्राम ढिकौली में स्थित रिहायसी भूमि 53.65 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 06.36 लाख रूपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 16.08.2022 को थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त मुन्दर उर्फ दिनेश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत की ग्राम ढिकौली में स्थित रिहायसी भूमि 53.65 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत करीब 06.36 लाख रूपये है को कुर्क/जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत को सम्पत्ति का



प्रशासक नियुक्त किया गया । अभियुक्त मुन्दर उर्फ दिनेश शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम, कुकर्म व गैंगस्टर आदि के 08 अभियोग दर्ज हैं ।

मुन्दर उर्फ दिनेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 81/2017 धारा 147/323 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2. मु0अ0सं0 554/2019 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना को0 बागपत, बागपत
3. मु0अ0सं0 602/2019 धारा 392/411 भादवि थाना को0 बागपत, बागपत
4. मु0अ0सं0 603/2019 धारा 307 भादवि थाना को0 बागपत, बागपत
5. मु0अ0सं0 660/2019 धारा 411/414 भादवि थाना को0 बागपत, बागपत
6. मु0अ0सं0 118/2020 धारा 2/3 गै0 एक्ट थाना को0 बागपत, बागपत
7. मु0अ0सं0 17/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर, जनपद बागपत
8. मु0अ0सं0 87/2022 धारा 377/506/323/34 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.08.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त कमर पुत्र बशीर को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- कमर पुत्र बशीर निवासी मौ0 मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राममूर्ति शर्मा कोतवाली बागपत ।

2-का0 89 संजय थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 493 विवेक सिरोही थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक

16.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 792/22 धारा
323/504/506/308 भादवि मे वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री भीम पुत्र श्री राजवीर निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 13.08.2022 की रात्रि को 21.00 बजे ग्राम मीतली में अभियुक्त 1. इन्द्रपाल पुत्र नरेश 2. साहब सिंह पुत्र रामू 3. राहुल पुत्र मेनपाल द्वारा वादी व वादी के भाई सचिन के साथ गाली-गलौच व मारपीट कर भाई सचिन के सिर पर ईट से वार किया जिससे भाई सचिन बेहोश हो गया व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 792/22 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों/ वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 792/22 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों 1. इन्द्रपाल पुत्र नरेश 2. राहुल पुत्र मेनपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-इन्द्रपाल पुत्र नरेश निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-राहुल पुत्र मेनपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2-का0 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 3-का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 16.08.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1. ओमपाल पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री बृजेश पौनिया थाना बालैनी ।

2- है०का० 54 राजीव यादव थाना बालैनी ।



प्रेस नोट
थाना चांदीनगर

दिनांक 16.08.2022

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-रोहित पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद

2- का0 745 गुलवीर सिंह



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 16.08.22

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 227/22 धारा
452/307/147/148/323/324/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.22 को थाना छपरौली पर
वादी अंकित पुत्र पालेराम निवासी ग्राम
तिलवाडा थाना छपरौली ने सूचना दी कि
अभियुक्त 1.कविन्द्र पुत्र भगवानदास 2.
हवापाल पुत्र किरणपाल 3.देवेन्द्र पुत्र
भगवानदास 4.सुरेन्द्र पुत्र सीताराम



5.भगवानदास पुत्र सीताराम 6.महिपाल पुत्र सीताराम 7.सतीश पुत्र सीताराम 8.आल्लू
पत्नि सुरेन्द्र 9. पूजा पत्नि सतीश 10. नितिन पुत्र महिपाल समस्त निवासीगण ग्राम
तिलवाडा थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा वादी व वादी के परिजनो के साथ एक राय
होकर जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर देना व जान से
मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर
मु0अ0सं0 227/22 धारा 452/307/147/148/323/324/506 भादवि में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी
हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0
227/22 धारा 452/307/147/148/323/324/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को
गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुरेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी ग्राम तिलवाडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री राजकुमार गौतम थाना छपरौली ।

2-का० 557 राहुल कुमार थाना छपरौली ।